FORM NO-III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत संभागीय आयुक्त, मुकाम जयपुर

रहीस बनाम राज्य सरकार

किस्म मुकदमा ....वाहन सुपुर्दगी........................ संख्या 2024 / 14

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.04.2024	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित। उनकी बहस एडमिशन पर सुनी गई। वकील अपीलांट ने धारा 07(3) आर बी एक्ट 1995 के समक्ष अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर के निर्णय दिनांक 11.03.2024 के विरूद्व अपील पेश कर पुलिस थाना अलवर द्वारा जब्त वाहन महिंद्रा बोलेरो पिकअप एफ.वी.पी. एस कलर व्हाइट रजिस्ट्रेशन संख्या एच.आर. 38 एक्स 3972 को सुपुर्दनामा पर दिलवाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा अपील में कथन किया है कि प्रार्थी का वाहन पुलिस थाना मालाखेडा में खुले में खडे रहने के कारण खराब हो रहा है। प्रार्थी द्वारा उक्त वाहन की गत एक वर्ष से लोन की किस्त भी अदा नहीं हो पाई है एवं सिविल खराब हो रही है। अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर उपलब्ध रिकॉर्ड एवं थानाधिकारी मालाखेडा की रिपोर्ट अनुसार प्रकरण में जब्तशुदा वाहन के संबंध में आरोपी वसीम पुत्र हनीफ निवासी ख्वाजलीकलां तहसील पुन्हाना जिला नूंह मेवात हरियाणा से अनुसंधान किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में जब्त वाहन महिंद्रा बोलेरो पिकअप एफ.वी.पी. एस कलर व्हाइट रजिस्ट्रेशन संख्या एच.आर. 38 एक्स 3972 की सुपुर्दगी हेतु अपीलांट की अपील एडमिशन स्तर पर ही खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आदेश है कि अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर अलवर का निर्णय दिनांक 11.03.2024 यथावत रखा जाता है। (डॉ. आरुषी मलिक) संभागीय आयुक्त, जयपुर संभागीय आयुक्त जयपुर	